

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7455/2022

राहुल राजपुरोहित पुत्र स्व. श्री. धनसिंह जी, उम्र लगभग 35 वर्ष, घर राजपुरोहित,
निवासी सिवांची गेट के अंदर, पुलिस स्टेशन के पास, जोधपुर, राजस्थान – 342006

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान सरकार, पी.पी. के माध्यम से।

-----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री अमन माहेश्वरी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री महिपाल बिश्रोई, प.पू.

माननीय न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी

निर्णय

रिपोर्टबल

09/12/2022

1. यह आपराधिक विविध. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका निम्नलिखित राहतों का दावा करने के लिए की गई है:

“यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता की इस विविध याचिका को कृपया अनुमति दी जाए और उपर्युक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2022 को आपराधिक विविध में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 1, जोधपुर द्वारा पारित केस संख्या 28/2022 को कृपया अपास्त कर दिया जाए और तदनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी जाए।

कोई अन्य राहत, जिसे यह माननीय न्यायालय तथ्यों और मामले की परिस्थिति में उपयुक्त और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष

में पारित किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 02.09.2022 को याचिकाकर्ता को उसके पड़ोसी श्री उम्मेद सिंह का फोन आया कि कुछ लोगों ने सार्वजनिक सड़क को गैरविधिक रूप से बाधित कर दिया है। अर्थात् अपेक्षित अनुमति के बिना, याचिकाकर्ता के घर की ओर एक बिजली की तार को स्थानांतरित कर दिया गया; ऐसी सूचना मिलने पर, याचिकाकर्ता अपने घर वापस आया, और पाया कि मोहम्मद सलीम छीपा, मोहम्मद उस्मान छीपा, मोहम्मद अज़हरुद्दीन और अहमद शाह, कुछ अन्य लोगों के साथ, अपेक्षित अनुमति के बिना, 200 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को काट रहे थे।
- 2.1 उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ शिकायत दर्ज कराने और एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन, खांडाफलसा गया था। हालाँकि, संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। वह भी याचिकाकर्ता ने एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस आयुक्त को एक लिखित शिकायत भेजी, लेकिन उसके बावजूद कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई और न ही अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।
- 2.2 01.10.2022 को याचिकाकर्ता ने अपराधियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 1, जोधपुर के समक्ष एक आवेदन दायर किया। हालांकि, निचली अदालत ने दिनांक 17.10.2022 के आदेश के जरिए उक्त आवेदन को अपास्त कर दिया और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत जांच शुरू की।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपराधियों का कृत्य एक गैरविधिक कृत्य है, न केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ, बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के खिलाफ भी। और, इसलिए, निचली अदालत ने आवश्यक जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत को संबंधित पुलिस अधिकारियों को न भेजकर गंभीर विधिक गलती की है। संक्षिप्तता के लिए उक्त धारा 156(3) को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"156. संज्ञेय मामले की जाँच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति. —

(1) किसी पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को अध्याय XII के प्रावधानों के तहत जांच करने या मुकदमा चलाने की शक्ति होगी।

(2) ऐसे किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को इस धारा के तहत अधिकार नहीं था।

(3) धारा 190 के तहत अधिकार प्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट ऊपर उल्लिखित जांच का आदेश दे सकता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 154 (1) में प्रयुक्त शब्द "करेगा" की व्याख्या, एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य बनाती है। जब अपराध संज्ञेय अपराध हों; इस तरह के प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, **ललिता कुमारी कुमारी बनाम यूपी राज्य और अन्य (2014) 2 एससीसी 1** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया था।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि धारा 156(3) सीआरपीसी में "संज्ञान ले सकते हैं" शब्द का उपयोग किया जाता है, धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शिकायत अग्रेषित करने में मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार होता है। किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को विधिवत देखने के बाद, पूर्ण न्याय करने के इरादे से प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में **देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी बनाम वी.नारायण और श्रीनिवास गुंडलुरी और अन्य वी. SPCO इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और अन्य (2010) 8 एससीसी 206 (1976) 3 एससीसी 252** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया था।
6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि एक बार मजिस्ट्रेट अध्याय XV/सीआरपीसी के तहत संज्ञान ले लेता है, तो वह पूर्व-संज्ञान चरण में वापस लौटने और धारा 156(3)

सीआरपीसी के तहत उपाय का लाभ उठाने का पात्र नहीं है। इस संबंध में **तुला राम और अन्य बनाम किशोर सिंह (1977) 4 एससीसी 459** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि "हो सकता है" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि हालांकि मजिस्ट्रेट के पास संबंधित पुलिस अधिकारियों को किसी मामले की जांच करने या मामले को शिकायत मामले के रूप में आगे बढ़ाने का निर्देश देने का विवेक है, लेकिन ऐसे विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है और न्यायिक तर्क द्वारा निर्देशित होना चाहिए। इस संबंध में **XZ बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (आपराधिक अपील क्रमांक 1184 ऑफ़ 2022)** पर दिनांक 05.08.2022 को निर्णय लिया गया। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया था।
8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। इस संबंध में **सखी मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार और अन्य (एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 2386 2018)** के मामलों में इस माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णयों पर भरोसा किया गया था। दिनांक 07.09.2020 को निर्णय लिया गया; **मथुरा देवी बनाम राजस्थान सरकार (एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 5195 ऑफ़ 2021)** दिनांक 06.01.2022 को निर्णय सुनाया गया और; **भूदेव अवस्थी बनाम राजस्थान सरकार (एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 8355/2021)** का निर्णय 11.02.2022 को हुआ। **राम शरण जाटव बनाम यूपी राज्य एवं अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन सभी 878** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया।
9. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक याचिकाकर्ता की ओर से की गई दलीलों का विरोध करते हैं, और प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालत ने वर्तमान के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद दिनांक 17.10.2022 के आक्षेपित आदेश को सही ढंग से पारित किया है। मामला, और उसके समक्ष रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य। उन्होंने आगे कहा

कि निचली अदालत ने वर्तमान मामले में अपने विवेक का सही प्रयोग किया है, और इसलिए याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में इस न्यायालय की किसी भी कृपा का पात्र नहीं है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ-साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
11. इस न्यायालय का मानना है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है, और मजिस्ट्रेट अपराधों की प्रकृति के साथ-साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की आवश्यकता के आधार पर ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन को एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए अग्रेषित कर सकता है। केवल तभी जब शिकायत किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करती है, और संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच की गारंटी देती है; अन्यथा, धारा 200 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी। जायज़ है।

संक्षिप्तता के लिए उक्त धारा 200 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“200. शिकायतकर्ता की जांच-

शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट शपथ पर शिकायतकर्ता और मौजूद गवाहों, यदि कोई हो, की जांच करेगा और ऐसी परीक्षा का सार लिखित रूप में लिखा जाएगा और शिकायतकर्ता और गवाहों और मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे:

बशर्ते कि, जब शिकायत लिखित रूप में की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है-

(क) यदि किसी लोक सेवक ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों या न्यायालय के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का इरादा रखते हुए शिकायत की है; या

(ख) यदि मजिस्ट्रेट धारा 192 के तहत मामले को जांच या सुनवाई के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपता है:

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने के

बाद मामले को धारा 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उनकी दोबारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

12. यह न्यायालय आगे मानता है कि ललिता कुमारी (सुप्रा.) और श्रीनिवास गुंडलुरी (सुप्रा.) के पूर्ववर्ती कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3) के तहत व्यापक शक्तियां हैं जिनका प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। ललिता कुमारी (सुप्रा.) में यह माना गया कि प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि क्या ऐसी जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करती है। **XZ** बनाम मध्य प्रदेश राज्य (सुप्रा.) में यह भी देखा गया कि न केवल तब जब मजिस्ट्रेट शिकायत को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर संज्ञेय अपराध का घटित होना पाता है, बल्कि तब भी जब ऐसे तथ्य सामने लाए जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से एक की आवश्यकता का संकेत देते हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच, और फिर मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अपेक्षित निर्देश जारी करना चाहिए।

12.1 वर्तमान मामले में, किसी भी पुलिस जांच की आवश्यकता को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, और न ही एफ.एस.एल. की आवश्यकता है। रिपोर्ट, कॉल विवरण, चिकित्सा परीक्षण, न ही पुलिस जांच के माध्यम से कोई अन्य साक्ष्य एकत्र करना; वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भी, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करता हो।

12.2 यह न्यायालय यह भी मानता है कि **XZ** बनाम मध्य प्रदेश राज्य (सुप्रा.), में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति। मजिस्ट्रेट द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या इसी तरह के किसी आपराधिक आरोप के मामलों में, जिसमें पीड़ित को संभवतः पहले से ही आघात पहुँचाया गया हो. जबकि वर्तमान मामले में, ऐसा कोई अपराध/कार्य नहीं किया गया है, न ही ऐसा कुछ है रिकॉर्ड पर जो संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करता है।

उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

“24. इसलिए, ऐसे मामलों में, जहां मजिस्ट्रेट न केवल शिकायत को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर कथित संज्ञेय अपराध का घटित होना पाता है, बल्कि ऐसे तथ्य भी मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाए जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से पुलिस जांच की आवश्यकता का संकेत देते हैं, विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है। धारा 156(3) को केवल इस रूप में पढ़ा जा सकता है कि पुलिस को जांच का आदेश देना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। वर्तमान जैसे मामलों में, जिसमें आरोपी या अन्य व्यक्तियों के भौतिक कब्जे में दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य होने का आरोप लगाया गया है, जिसे पुलिस सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके जांच करने और पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होगी, मामले को सुलझाना चाहिए। जांच के लिए पुलिस को भेजा जाए।

25. विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या इसी तरह के किसी आपराधिक आरोप के मामलों में, जिसमें पीड़ित संभवतः पहले से ही सदमे में है, अदालतों को शिकायतकर्ता पर और बोझ नहीं डालना चाहिए और पुलिस पर जांच करने के लिए दबाव डालना चाहिए। इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता के लिए अपनी शिकायत के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे साक्ष्यों के अभाव में मामले की सच्चाई तक पहुंचना संभव नहीं होगा। फिर शिकायतकर्ता को रिकॉर्ड पर प्रासंगिक साक्ष्य (जो संभावित रूप से काफी संभावित मूल्य का है) लाने में सक्षम हुए बिना अपना मामला सिद्ध करने की आवश्यकता होगी, जो अन्यायपूर्ण होगा।

26. इस पृष्ठभूमि में, हमारा स्पष्ट मानना है कि जेएमएफसी को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पुलिस को जांच करने का निर्देश देना चाहिए था।

13. यह न्यायालय आगे मानता है कि देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी (सुप्रा.) और तुलसी राम (सुप्रा.) के मामलों में दिए गए निर्णय, गंभीर प्रकृति के अपराधों के कृत्य से संबंधित थे, ऐसे अपराध जो मानव शरीर के खिलाफ थे, और एक द्वारा विचारणीय थे सत्र न्यायालय;

जबकि वर्तमान मामले में, अपराध संपत्ति के खिलाफ हैं और कम गंभीर प्रकृति के हैं।

14. यह न्यायालय यह भी मानता है कि *सखी मोहम्मद (सुप्रा.)* का मामला उस स्थिति से निपटता है जिसमें शिकायत से ही संज्ञेय अपराधों के घटित होने का पता चलता है और इसलिए एफ.आई.आर. के पंजीकरण के माध्यम से अपराधों के घटित होने की विश्वसनीयता की संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच करना आवश्यक था।

14.1 वर्तमान मामले में, तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत अग्रेषित करने की आवश्यकता हो। याचिकाकर्ता की शिकायत संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन नहीं करती है, और शिकायत केवल एक पेड़ काटने से संबंधित अपराध का प्रकटन करती है।

14.2 यह न्यायालय आगे मानता है कि *मथुरा देवी (सुप्रा.)* में, मजिस्ट्रेट ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी थी और शिकायतकर्ता का बयान सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज किया गया था; आरोप एक संज्ञेय अपराध के कृत्य के संबंध में थे और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे, जिसके लिए पुलिस जांच की आवश्यकता थी। इसी तरह *रामशरण जाटव (सुप्रा.)* के मामले में शिकायत जाति आधारित गालियां देने और मारपीट करने की थी।

14.3 वर्तमान मामले में, आरोपों की प्रकृति अलग है और इसलिए पूरी तरह से अलग स्तर पर है।

14.4 इसी प्रकार, *भूदेव अवस्थी (सुप्रा.)* का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में लागू नहीं होता है।

15. इस न्यायालय का मानना है कि जांच के लिए धारा 156(3) के तहत शिकायत अग्रेषित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है, और इसका प्रयोग कथित अपराधों की प्रकृति को देखते हुए किया जाना चाहिए, और यह भी कि क्या मामले में पुलिस द्वारा जांच की आवश्यकता है। यदि कथित अपराधों की प्रकृति संज्ञेय है, लेकिन यदि शिकायत को पढ़ने पर, मजिस्ट्रेट को संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं लगती है, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार विवेक का प्रयोग कर सकता है। यह

आवश्यक है कि शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की आवश्यकता का संकेत दे।

16. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स, विशेष रूप से शिकायत और विचाराधीन अपराधों की प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय को नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक कमजोरी नहीं मिली है, ताकि इस स्तर पर उसमें किसी भी हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सके।
17. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका अपास्त की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(डॉ.पुष्पेन्द्र सिंह भाटी), न्यायमूर्ति

249-Skant/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।